संख्या-06/सै0क0-464/कल्याण/2001

आर. के. वर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

उप निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तरांचल, देहरादून ।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2002

विषयः- उत्तरांचल के द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों की विधवाओं को देय पेंशन रु0 250/= से बढ़ाकर रु0 500/=प्रति माह किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2001/टि0वि0यु0/स0प0-2/पेंशन, दिनांक - 01. 10. 2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तरांचल में निवास करने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों की विधवाओं को भरण पोषण के लिए उन्हें दी जा रही 250/=रु0 की मासिक पेंशन की धनराशि दिनांक 09 नवम्बर, 2001 से बढ़ाकर 500/=रु0 किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं ।

1- पेंशनरों की पात्रता के बारे में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से जब तक पुष्टि नहीं करा ली जाती, तब तक बढ़ी दरों पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

2- द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्नगत पेंशनरों के संबंध में एक सर्वे करा लिया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित पेंशनर जीवित है और उन्हें पेंशन की धनराशि सम्यक रूप से प्राप्त हो रही है। प्रश्नगत सर्वे आप द्वारा 4 माह के अन्दर पूरा कर लिया जाए।

3- पूर्व प्रचलित नियमावली में रु0 250/- के स्थान पर रु0 500/- करने से संबंधित संशोधन यथासमय कर दिये जाएंगे एवं तब तक रु0 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त रूप से संशोधित दरों पर पेंशन की धनराशि एतद्विषयक नियमावली में दी गई शर्तों के अनुसार वितरित की जाएगी तथा इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उपलब्ध शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लंघन न हो।

क्रमशः पृष्ठ - 2 ..

2- इस स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय "अनु0सं0- 15 के लेखा-शीर्षक- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,आयोजनेत्तर-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-सैनिक कल्याण-09 उत्तरांचल के निवासी, द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को पेंशन स्वीकृत-42-अन्य व्यय" नामें में डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-371/वि0अनु0-2 /2001 दिनांक 08.01.2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

आर. के. वर्मा
सचिव ।

संख्या-06(1)/से0क0-464(कल्याण)/2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- सचिव, रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस बात की पुष्टि करने का कष्ट करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को उत्तरांचल सरकार द्वारा जो पेंशन दी जा रही है, उसके लिए वे प्रदेश सरकार से पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं ।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
अनुसचिव ।

संख्या-06(2)/से0क0-464(कल्याण)/2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा(प्रथम),उत्तरांचल ।
2- महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली ।

.... 3.....

3- सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मन्त्रालय भारत सरकार मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली ।

4- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल ।

5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।

6- समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उत्तरांचल ।

7- वित्त अनुभाग ।

8- अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन ।

9- निजी सचिव, माननीय समाज कल्याण मन्त्री, उत्तरांचल ।

10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)

अनुसचिव ।